



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253084
CG-DL-E-15032024-253084

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1347]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 2024/फाल्गुन 25, 1945

No. 1347]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2024/PHALGUNA 25, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 15 मार्च, 2024
(आयकर)

का.आ. 1413(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (22ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद् द्वारा "प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली" को दो निर्धारण वर्षों यथा 2022-23 से 2023-24 के लिए उक्त उपवाक्य के प्रयोजन हेतु मात्र समाचार के संग्रह और वितरण के लिए भारत में स्थापित एक समाचार एजेंसी के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

2. यह अधिसूचना इस शर्त के अधीन है कि समाचार एजेंसी अपनी आय का अथवा किए गए संचय का प्रयोग केवल समाचार के संग्रह और उसके वितरण के लिए करेगी तथा अपनी आय को किसी भी तरह से अपने सदस्यों को वितरित नहीं करेगी।

[अधिसूचना सं. 32/2024 (फा.सं. 165/1/2021-आईटीए-1)]

विकास सिंह, निदेशक, आईटीए-1